न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– **सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :– **172 / प्रा.पत्र / 2022**

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये सत्यनाराण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवराज चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी ग्राम कानखेडा पोस्ट कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी एफ.बी.ओ.मैसर्स वीर तेजा डेयरी सदर थाने के सामने देवपुरा बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
2. मैसर्स वीर तेजा डेयरी सदर थाने के सामने देवपुरा बून्दी तहसील व जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से :– विद्वान अभिभाषक श्री दिनेश पारीक।

निर्णय दिनांक: 26.03.2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 25.07.2022 को समय दोपहर 02:00 पी.एम. मैसर्स वीर तेजा डेयरी सदर थाने के सामने देवपुरा बून्दी तहसील व जिला बून्दी पंहुचा। वहॉ पर एफ.बी.ओ. व विक्रेता की हैसियत से श्री श्री देवराज चौधरी आ0 श्री रामलाल जाट अपने प्रतिष्ठान मैसर्स वीर तेजा डेयरी सदर थाने के सामने देवपुरा बून्दी पर खाद्य पदार्थ कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री देवराज चौधरी को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में डीप फ्रीजर में 3 केनों में लगभग 90 लीटर **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क)** रखा हुआ था। उक्त **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क)** का निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने श्री देवराज चौधरी आ0 श्री रामलाल जाट को गवाहान के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर श्री देवराज चौघरी आ0 श्री रामलाल जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किया। डीप फ्रीजर में 3 केनों में लगभग 90 लीटर **मिश्रित दुध (मिक्सड मिल्क)** रखा हुआ में से एक स्टील के जग में 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री देवराज चौधरी आ0 श्री रामलाल जाट को रूप्ये 80.00/– अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क)** 2 लीटर को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 500–500 एम.एल. भरकर,प्रत्येक शिशी को बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्क शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–2009 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं एफ.बी.ओ. तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी0ओ0 बून्दी की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **यू–2009** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता श्री देवराज चौधरी के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहो ने हस्ताक्षर किये एवं मैने भी हस्ताक्षर किये। नमूना वास्ते जॉच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा भेजा गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2022/513 दिनांक 16.08.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 1110/पीएचएल/एक्ट/2022/1112 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या यू–2009 **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क) अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा स्तर का **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क) अवमानक (Substandard)** का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बन्दी (राज०)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
मु.स. 172/प्रा.पत्र./2022 बउनवान खा.सु.अधि. बून्दी बनाम देवराज चौधरी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक ने अवगत कराया कि निर्णय न्यायालय स्तर से किया जावें।

खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न हैः—

क. स.	दस्तावेज विवरण	थ्दनांक
1.	अभिहित अधिकारी बून्दी को प्रेषित पत्र	19.09.2022
2.	पदस्थापन आदेश	05.04.2021
3.	गजट नोटिफिकेशन	26.07.2011
4.	पदस्थापन आदेश	10.08.2011
5.	कार्य क्षैत्र आवंटन गजट नोटिफिकेशन	11.04.2012
6.	रसीद माल की खरीद	25.07.2022
7.	फार्म न 5ए असल	25.07.2022
8.	फर्द रिर्पोट असल	25.07.2022
9.	मैसर्स वीर तेजा डेयरी देवपुरा जिला बून्दी के खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति।	24.12.2021
10.	श्री देवराज चौधरी के आधार कार्ड की छायाप्रति।	—
11.	खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा से नमूना जमा प्राप्ति व फार्म न06 की द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद।	25.07.2022
12.	अभिहीत अधिकारी द्वारा नमुना के तीन भाग (ii), (iii) एवं (iv) की प्राप्त रसीद	25.07.2022
13.	अभिहीत अधिकारी बून्दी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच रिर्पोट प्रेषित पत्र।	16.08.2022
14.	खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा की खाद्य नमूना जांच रिर्पोट।	05.08.2022
15.	अभियोजन स्वीकृति	31.10.2022

हमने पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक U-2009 की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 1110/पीएचएल/एक्ट/2022/1112 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार निम्न है :—

The sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. **2.1.2. Milk** of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

sample was in a condition for analysis and has been analysed on 28-07-2022 to 05-08-2022.

(Regulation 2.1.2 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, outlines the standard for milk, covering aspects like description, essential composition, quality factors, food additives, contaminants, hygiene, labeling, and sampling/analysis methods.)

Analysis Report :-

S. No.	Quality characteristics	Name of the method of the test used	Results	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made there under. (b) As per label declaration for proprietary food.
1.	Milk Fat.	manual of methods of analysis of Foods FSSAI.	2.8%	Minimum 4.50%.
2.	Milk solids not fat.	manual of methods of analysis of Foods FSSAI.	5.92%	Should be Negative.

Opinion: The sample of **"Mixed Milk (Loose)"** bearing Code No. and Sr. No. U-2009 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, is **is Substandard** as does not meet to the prescribed Standards and provisions of Food Regulations, 2011.The sample is sub standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety& Standards Act 2006.

{ Section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act, 2006, defines "sub-standard" food as an article of food that doesn't meet the specified standards, but is not unsafe.}

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

2. खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **मिश्रित दुध(मिक्सड मिल्क) अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी श्री देवराज चौधरी आ0 श्री रामलाल जाट निवासी कानखेडा पोस्ट कालपुरिया तह0 व जिला बून्दी द्वारा **मिश्रित दुध (मिक्सड मिल्क)** अवमानक **(Substandard)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है।

हालांकि उक्त प्रकरण में प्रचलित विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :--

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58(सहपठित धारा 49) के उल्लंघन की दशा में **मिश्रित दुध (मिक्सड मिल्क) अवमानक (Substandard)** में राशि दो लाख रूपये सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी श्री देवराज चौधरी आ0 श्री रामलाल जाट निवासी कानखेडा पोस्ट कालपुरिया तह0 व जिला बून्दी द्वारा **मिश्रित दुध (मिक्सड मिल्क)** अवमानक **(Substandard)** का विक्रय के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के तहत अप्रार्थीगण को 50000/-- रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद (0210—04—800—03—00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)